



सीमाशुल्कआयुक्तकाकार्यालय
नवसीमाशुल्कभवन, पणंबूर, मंगलूर-५७५०१०
OFFICE OF THE COMMISSIONER OF CUSTOMS
NEW CUSTOMS HOUSE, PANAMBUR, MANGALURU – 575 010

Telephone No. 0824-2408164, website -www.customsmangalore.gov.in, Email- commr-cusmnglr@nic.in

File No.GEN/CB/Misc/80/2020-CH-O/O-COMMR-CUS-MANGALURU-Part(1)
 (Comp. No. 177459)

दिनांक/Date:
 As e-signed

सार्वजनिकसूचनासं.25/2025
PUBLIC NOTICE NO.25/2025

विषय/Sub: एससीएमटीआर, 2018 के अंतर्गत स्टफिंग (एसएफ) संदेश का अखिल भारतीय कार्यान्वयन - 25.11.2025 से प्रभावी
Pan India implementation of Stuffing (SF) Message under SCMTR, 2018 – w.e.f 25.11.2025

यह सूचित किया जाता है कि एससीएमटीआर संदेशों के चरणबद्ध कार्यान्वयन के एक भाग के रूप में, सिस्टम एवं डेटा प्रबंधन महानिदेशालय ने 25 नवंबर 2025 से निर्यात के लिए स्टफिंग (एसएफ) संदेश मॉड्यूल को पूरे भारत में लागू करने की योजना बनाई है। एसएफ संदेश का उपयोग करते हुए, निर्यात कार्गो का विवरण कस्टोडियन द्वारा स्वयं ICEGATE के माध्यम से दर्ज किया जा सकता है, जो अधिकारी द्वारा दर्ज की गई स्टफिंग रिपोर्ट की मौजूदा व्यवस्था का स्थान लेगा। कस्टोडियन कंटेनरवार एसएफ संदेश दर्ज करेगा। इस संदेश को स्थान अर्थात् आईसीडी/सीएफएस/एसईजेड पर सीमा शुल्क अधिकारी द्वारा अनुमोदित किया जाएगा। एसएफ स्वीकृत होने के बाद, यह इंगित करेगा कि कंटेनर में स्टफिंग के लिए कोई और कार्गो लंबित नहीं है।

It is informed that as part of phase-wise implementation of SCMTR messages, Directorate General of Systems & Data Management has planned to implement the Stuffing (SF) Message module pan-India for exports with effect from **25th November 2025**. Using the SF message, the export cargo details can be filed by custodian itself through the ICEGATE replacing the existing mechanism of stuffing report entered by officer. Custodian will file the SF message container-wise. This message will be approved by customs officer at the location i.e. ICD/CFS/SEZ. Once SF is approved, it will indicate that there is no more cargo pending for stuffing in the container.

स्टफिंग के बाद, ट्रांस-शिपर को एसआर संदेश एसबी-वार दाखिल करना होगा। एसआर दाखिल करने से यह संकेत मिलेगा कि एसबी के लिए, स्टफिंग पूरी हो गई है और कार्गो को और जोड़ने की अनुमति नहीं होगी। हालांकि, इस स्तर पर, केवल एसएफ संदेश को लाइव किया जा रहा है और एसआर या बाद के संदेश (डीपी, एआर, एसटी, एटी, डीटी) नहीं। इस प्रकार, इस मध्यवर्ती अवधि के दौरान, संरक्षक द्वारा दर्ज की गई ऐसी एसएफ जानकारी अधिकारी की स्क्रीन पर प्रवाहित होगी (वही स्क्रीन/भूमिका जहां वर्तमान में अधिकारी द्वारा स्टफिंग रिपोर्ट दर्ज की जाती है)। इस प्रकार, अधिकारी की स्क्रीन जहां स्टफिंग रिपोर्ट दर्ज की जाती थी, संरक्षक द्वारा दर्ज की गई एसएफ जानकारी का उपयोग करके स्वचालित रूप से पॉप्युलेट हो जाएगी, और अधिकारी द्वारा इसे संपादित किया जा सकेगा (चूंकि वर्तमान में, सभी सीआईएम-निर्यात संदेशों को लाइव नहीं किया जा रहा है, इस प्रकार, अधिकारी की भूमिका को जारी रखा गया है, जैसा कि पहले मौजूद था)।

2. After Stuffing, the trans-shipper needs to file the ASR message SB-wise. ASR filing will indicate that for a SB, the stuffing has been completed and no more addition of cargo would be allowed. However, at this stage, only SF message is being made live and not ASR or subsequent messages (DP, AR, ST, AT, DT). As such, during this intervening period, such SF information filed by the custodian would flow to officer's screen (same screen/role where at present Stuffing report is entered by the officer). Thus, officer's screen where stuffing report used to be entered would be auto-populated using the SF information filed by the custodian, and same would be editable by the officer (since at present, all CIM-Export messages are not being made live, as such, officer role has been kept to be continued, as was existing before).

इस प्रकार, परिचालन सुगमता सुनिश्चित करने के लिए संक्रमण चरण के दौरान नए एसएफ संदेश के साथ-साथ मौजूदा पद्धति के माध्यम से स्टफिंग रिपोर्ट दर्ज करने का समानांतर विकल्प उपलब्ध रहेगा और सभी साइटों पर प्रक्रिया के सफलतापूर्वक क्रियान्वित हो जाने के बाद इसे हटा दिया जाएगा।

3. Thus, the parallel option for entering the stuffing report through the existing method shall continue to remain available alongside the new SF message during the transition phase to ensure operational smoothness and will be removed once the process has been implemented successfully at all sites.

इस संबंध में, पूर्व में संरक्षकों और अन्य हितधारकों के साथ कई तकनीकी सत्र आयोजित किए गए हैं, जहाँ सामान्य स्टफिंग संदेश त्रुटियों पर चर्चा की गई और आवश्यक समाधान एवं स्पष्टीकरण प्रदान किए गए। ऐसी त्रुटियों की सूची और उनका विवरण यहां भी उपलब्ध है:

<https://www.old.icegate.gov.in/Download/>

[SCMTR Error Codes & Descriptions v1.0.pdf](https://www.old.icegate.gov.in/Download/SCMTR_Error_Codes_&_Descriptions_v1.0.pdf) ('SF' नाम के अंतर्गत आने वाली त्रुटियों का संदर्भ लिया जा सकता है)।

4. In this regard, several technical sessions have been conducted with custodians and other stakeholders in the past where common stuffing message errors were discussed and necessary resolutions and clarifications were provided. List of such errors and their descriptions is also available on:

<https://www.old.icegate.gov.in/Download/>

[SCMTR Error Codes & Descriptions v1.0.pdf](https://www.old.icegate.gov.in/Download/SCMTR_Error_Codes_&_Descriptions_v1.0.pdf) (errors under message name 'SF' may be referred).

तकनीकी विवरण के लिए संदेश कार्यान्वयन मार्गदर्शिका यहां उपलब्ध है

<https://www.icegate.gov.in/guidelines/CIM-custodian-MIG>

5. The Message Implementation guide for technical details is available at <https://www.icegate.gov.in/guidelines/CIM-custodian-MIG>

(पी.विनीता शेखर / P.VINITHA SEKHAR)

आयुक्त / COMMISSIONER

प्रति / Copy to:

1. सहायक आयुक्त, सीमाशुल्क (सी.सी.ओ), बेंगलूरु अंचल, बेंगलूर, सूचना हेतु
Assistant Commissioner of Customs (CCO), Bengaluru Zone, Bengaluru, for information.
2. तकनीकी अनुभाग /ई.डी.आई अनुभाग, मंगलूरु सीमाशुल्क, वेबसाइट में अपलोड करने हेतु
Technical Section/EDI Section, Mangaluru Customs, for uploading in the website.
3. सीमाशुल्क ब्रोकर्स एसोसिएशन, मंगलूरु
The Customs Brokers Association, Mangaluru.
4. स्टीमर एजेंट्स एसोसिएशन, मंगलूरु
The Steamer Agents Association, Mangaluru
5. सूचना पट्ट, एन.सी.एच, मंगलूरु
Notice Board, NCH, Mangaluru.